



प्रेस विज्ञप्ति
24.06.2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), कोलकाता क्षेत्रीय कार्यालय ने पश्चिम बंगाल सेंट्रल एसएससी (ग्रुप सी एंड डी स्टाफ) भर्ती घोटाले में अनंतिम रूप से 27.19 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्तियों को कुर्क किया है, जो पश्चिम बंगाल के तीन चाय सम्पदा के नाम पर है- प्रसन्ना कुमार रॉय अर्थात् मेसर्स सैमसिंग ऑर्गेनिक टी प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स यांगटोंग ऑर्गेनिक टी प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स बमंदंगा टी एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड। कुर्क की गई संपत्तियों में बंगले, कारखाने, संयंत्र और मशीनरी और वाहन शामिल हैं। इन संपत्तियों को समूह-सी एंड डी कर्मचारियों के पद पर उनकी अवैध नियुक्तियों के लिए विभिन्न अवांछनीय उम्मीदवारों से एकत्र की गई नकदी से प्राप्त किया गया था।

माननीय उच्चतम न्यायालय ने हाल ही में पश्चिम बंगाल राज्य बनाम बैशाखी भट्टाचार्य (चटर्जी) और अन्य के मामले में 2024 के एसएलपी (सिविल) 9586 में दिनांक 03.04.2025 के फैसले को रद्द कर दिया, पश्चिम बंगाल केंद्रीय एसएससी द्वारा 25000 से अधिक शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की नियुक्तियों को रद्द कर दिया और पूरी चयन प्रक्रिया को दूषित और गलत बताया।

ईडी ने अवांछनीय, गैर-सूचीबद्ध और नीचे रैंक के उम्मीदवारों में समूह सी और डी कर्मचारियों की अवैध नियुक्ति और योग्य और वास्तविक उम्मीदवारों को वंचित करने के मामले में आईपीसी, 1860 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की विभिन्न धाराओं के तहत सीबीआई द्वारा दर्ज दो प्राथमिकी के आधार पर जांच शुरू की। आरोप में विभिन्न व्यक्तियों द्वारा आपराधिक षड्यंत्र में निष्पक्षता बनाए बिना और संबंधित नियमों का उल्लंघन करके नियुक्ति शामिल है।

ईडी ने इससे पहले पश्चिम बंगाल राज्य में ग्रुप सी एंड डी स्टाफ भर्ती घोटाले के इस मामले में 219.91 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की है और प्रसन्ना कुमार रॉय (उम्मीदवारों से धन और विवरण एकत्र करने में शामिल मुख्य बिचौलिया) और चंदन मंडल (प्रमुख एजेंट) को गिरफ्तार किया है, प्रसन्ना कुमार रॉय और दोनों वर्तमान में न्यायिक हिरासत में हैं।

सहायक शिक्षक भर्ती घोटाले (एसएससी सहायक शिक्षक 9 से 12वीं) के संबंधित मामले में, ईडी ने पहले भी 238.78 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की है। पश्चिम बंगाल राज्य में प्राथमिक शिक्षक भर्ती घोटाले के एक अन्य मामले में, ईडी ने पहले ही 151 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्की/जब्त कर ली है। इस प्रकार, भर्ती घोटाले के मामलों में ईडी कोलकाता द्वारा कुल कुर्की अब 636.88 करोड़ रुपये है।

आगे की जांच चल रही है।